संविधान

ता : 30 सितंबर, 2023 तक संशोधित

गारमेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान

रजिस्टर्ड ऑफिस : 718, पांचवा माला
"एन्कर माल"
अजमेर रोड़, जयपुर
फो नं. : 2224380
Email : info@garment-india.com

Reg. No. 247/78

Dt. 28.03.1978

Amended Date : 30/09/2023

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer

गारमेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जयपुर

1. पार्षद सीमा नियम

(1) नाम : इस संस्था का नाम **'गारमेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान** होगा।

(2) पंजीकृत कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर में स्थित होगा।

(3) उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होगें :–

#1. तैयार वस्त्रों/टैक्सटाईल के निर्यातकर्ताओ के लिए सामान्य सभा स्थान का निर्धारण और उद्योग के विकास एवं प्रगति के लिये तरीकों का निर्धारण एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण।

#2. विभिन्न मामलों पर सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु राज्य/केन्द्रीय सरकार एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना, प्रतिनिधित्व करना, जैसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने सम्बन्धी, सांख्यिकी, कर एवं छूट सम्बन्धी, विधान सम्बन्धी इत्यादि जो भी इस उद्योग से सम्बन्धित हो।

#3. जब कभी भी उद्योग के हित एवं विकास के लिए आवश्यक हो तो अन्य संस्थाओं एवं सहाकारी संस्थाओं का विकास करना, निर्मित माल, कच्चे माल, तथा अन्य वस्तुऐं सेवायें और संसाधन का क्रय/विक्रय एवं अधिकग्रहण करना तथा सामग्री एवं अन्य वस्तुओं के यातायात एवं विक्रय के लिये व्यवस्था करना।

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
For Garment Exporters Association of Rajasthan
President
Treasurer

यह संरक्षक संस्था किसी भी तरह से इन प्रयोजित संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों के लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

#4. संस्था के सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना एवं उसके लिये उचित व्यवस्था करना।

#5. सदस्यों की जानकारी बढ़ाने हेतु पुस्तकालय, वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

#6. सदस्यों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये विधाई अधिनियम का समर्थन करना तथा जो अधिनियम सदस्यों के हित के विपरीत रूप से प्रभावित करते हो उनका विरोध करना।

#7. सदस्यों के मध्य, होने वाले झगड़ो व मतभेदों का पंच निर्णय द्वारा फैसला कराने का प्रयास करना।

#8. समय–समय पर धर्मार्थ संस्थाओं को चन्दा देना व धर्मार्थ निधि की स्थापना करना तथा उस धर्मार्थ निधि से समय–समय पर योग्य व जरूरत मन्द व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास करना।

#9. संस्था के उपयोग के लिये भवन निर्माण करना व उसमें समय–समय पर समुचित परिवर्तन करना।

#10.संस्था के उद्देश्यों के लिये समय–समय पर रूपया उधार लेना व ऋण की अदायगी के लिये संस्था की ओर से प्रतिभूति का प्रबन्ध करना।

#11.संस्था के धन को उन प्रतिभूतियों में विनियोग करना जिसे कार्यकारिणी समय–समय पर निश्चित करे।

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer

#12.संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये समय–समय पर नियम बनाना व उन नियमों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना।

#13.संस्था के पंजीकरण के सम्बन्ध में हुए समस्त व्ययों का भुगतान करना।

#14. सामान्य तौर पर सभी आवश्यक कदम उठाना जो कि निर्मित वस्त्र/टैक्सटाईल उद्यमियों एवं उनके अन्य सहयोगी उद्योगों के हित व विकास के लिये आवश्यक हो एवं जैसा कार्यकारिणी समय–समय पर उचित समझे।

(4) संस्था की सम्पत्ति : संस्था की सम्पत्ति एवं आय का उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही किया जायेगा जिनका उल्लेख संस्था के इस पार्षद अधिनियम व नियमों में किया गया है। इस सम्पत्ति व आय का कोई भी हिस्सा संस्था के किसी भी सदस्य को नहीं दिया जायेगा, किन्तु संस्था किसी भी व्यक्ति को जो संस्था का कर्मचारी है, उसके कार्य के लिये भुगतान कर सकेगी।

(5) दायित्व : संस्था के सदस्यों का दायित्व सीमित होगा। संस्था के विघटन के समय सभी सदस्य व अन्य सभी व्यक्ति जो संस्था के विघटन होने तक संस्था के सदस्य थे तथा उनके सदस्य होने के समय संस्था ने जो कार्य किये उन देनदारियों एवं दायित्वों के भुगतान व संस्था के विघटन सम्बन्धी सभी खर्चो के भुगतान के लिये उत्तरदायी होंगे। यह राशि 100/– रूपये अंक सौ रूपये से अधिक नहीं होगी।

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Trea

गारमेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जयपुर

2. <u>अन्तर्नियम</u>

(1) परिभाषाएँ:

इन अन्तर्नियमों में प्रयुक्त किये शब्दों का तात्पर्य निम्न प्रकार होगाः—

#1. एसोसिएशन से तात्पर्य, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से है।

#2. सदस्य से तात्पर्य किसी भी श्रेणी के सदस्य से है।

#3. कार्यकारिणी का तात्पर्य प्रबन्ध समिति से है।

#4. साधारण सभा का तात्पर्य सदस्यों की साधारण सभा से है।

#5. अध्यक्ष का तात्पर्य एसोसिएशन के अध्यक्ष से है।

#6. सचिव का तात्पर्य एसोसिएशन के सचिव से है।

#7. कोषाध्यक्ष का तात्पर्य एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष से है।

#8. वर्ष का तात्पर्य एसोसिएशन के वित्तीय वर्ष से है।

#9. कार्यालय का तात्पर्य एसोसिएशन के पंजीकृत कार्यालय से है।

(2) सदस्यता :

#1. सदस्यों की संख्या असीमित हो सकती है।

#2. सदस्यों की संख्या निम्न श्रेणियां होगी।

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer

(अ) आजीवन सदस्य (Life Members)

(ब) साधारण सदस्य (Ordinary Members)

(स) सम्बद्ध सदस्य (Associated Members)

(द) मानद सदस्य (Honorary Members)

(ई) संस्थानिक सदस्य (Institutional Members)

(अ) आजीवन सदस्य (Life Members)

कोई भी व्यक्ति या संस्था जो तैयार वस्त्रों/टैक्सटाईल के निर्यात कार्य में लगा है, तथा जिसकी फैक्ट्री/कार्यालय राजस्थान राज्य में है, एवं जिसने I.E. Code No. GST Registration एवं किसी भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद/कौंसिल की सदस्यता प्राप्त कर लिया हो, वह आजीवन सदस्य बनने के योग्य होगा।

(ब) साधारण सदस्य (Ordinary Members)

कोई भी व्यक्ति या संस्था जो तैयार वस्त्रों/टैक्सटाईल के निर्यात कार्य में लगा है, तथा जिसकी फैक्ट्री/कार्यालय राजस्थान राज्य में है, एवं जिसने I.E. Code No. GST Registration एवं किसी भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद/कौंसिल की सदस्यता प्राप्त कर लिया हो, वह साधारण सदस्य बनने, के योग्य होगा।

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

(स) <u>सम्बद्ध सदस्य (Associated Members)</u>

कोई भी व्यक्ति अथवा उद्योग जो कि वस्त्र/टैक्सटाईल निर्माण और /या वस्त्र व्यापार या अन्य किसी वस्तु का जो कि तैयार वस्त्रों/टैक्सटाईल के निर्यातकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, के व्यवसाय में कार्यरत है, एवं जिनका कि व्यवसाय स्थल राजस्थान, किसी भी राज्य या देश में है। एसोसिएशन के सम्बद्ध सदस्य बनने के योग्य होगें। इन सदस्यों को किसी प्रकार का मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(द) <u>मानद सदस्य (Honorary Members)</u>

कोई भी तकनीकी विशेषज्ञ जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्थानीय संस्थाओं का अधिकारी है, या अत्यन्त अनुभवी व्यक्ति जिसकी कि सेवाएं एसोसिएशन के हित के लिए अत्यन्त उपयोगी समझी जावे, इस एसोऐसिशन के मानद सदस्य बनने के योग्य होगें। मानद सदस्यों को किसी भी प्रकार का मताधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे सदस्यों की सदस्यता कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

(ई) <u>संस्थानिक सदस्य (Institutional Member)</u>

ऐसे संस्थान/संघ/एसोसिएशन आदि जिनके कार्यालय भारत में अथवा किसी अन्य देश में है, एवं जो भारत से वस्त्र निर्यात संवर्धन (Export Promotion) में सहायक हों, एवं इस एसोसिएशन के सदस्यों के उत्पाद कि गुणवत्ता सुधार, अंतर्राष्ट्रीय फैशन बाजार के नए रुझान एवं अनुसंधान (Research & Development) आदि मे सहायक हों, वह

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

संस्थानिक सदस्य बनने के योग्य होगा। इन सदस्यों को किसी प्रकार का मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(फ) उपरोक्त सभी प्रकार की सदस्यता, केवल मानद सदस्यता को छोड़कर तभी दी जायेगी, जबकि उनके लिये निर्धारित प्रार्थना–पत्र प्राप्त हो, मगर सभी प्रकार की सदस्यता स्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा ही होगी।

3. शुल्क एवं दान

(1) सदस्यता के लिए एसोसिएशन का कार्यालयी वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।

आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य एवं सम्बद्ध सदस्य बनने के लिये प्रवेश शुल्क 1,100/– रूपये + जी एस टी तत्कालीन प्रभाव से लागू कर दिया।

(2) संस्था के सदस्यों का वार्षिक शुल्क निम्न प्रकार होगाः–

#1. आजीवन सदस्य (Life Members) 50,000/– रूपये (एक बार सिर्फ) + जी एस टी तथा वार्षिक शुल्क प्रतिवर्ष 5500/– रूपये होगा।

#2. साधारण एवं सम्बद्ध सदस्य (Associated Member) प्रतिवर्ष 11,000/– रूपये + जी एस टी होगा।

#3. मानद सदस्य (Honorary Members) कोई शुल्क नहीं।

#4. संस्थानिक सदस्य (Institutional Member)

न्यूनतम 51,000/– रूपये अथवा इससे अधिक जो भी धनराशि कार्यकारी समिति द्वारा किसी संस्थान से लेनी निर्धारित की जावे, वह संस्थानिक सदस्य से दान (डोनैशन) के रूप में लिया जाकर संस्थानिक सदस्य बना जा सकेगा।

वार्षिक शुल्क प्रतिवर्ष 11000/– + जी एस टी होगा।

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

(3) कोई भी शुल्क जो कि प्राप्त हो चुका है, किसी भी दशा में सिर्फ जिनके प्रार्थना पत्र कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं हुए को छोड़कर, वापस नहीं किया जायेगां शुल्क पूरे वर्ष के लिए जमा किये जायेगें। अगर कोई भी सदस्य संस्था को 1 सितम्बर के पश्चात् ज्वाइन करते है उससे आधी शुल्क प्रविष्ट के रूप में ली जायेगी और अगले वर्ष वे वार्षिक शुल्क यथावत् देगें। कोई भी साधारण सदस्य आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक सदस्य के वार्षिक शुल्क वर्ष के प्रथम दिन से देय समझे जायेगें।

(अ) अगर कोई भी सदस्य पांच साल का शुल्क एकमुश्त देता है तो उसे पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी और दस साल का शुल्क एकमुश्त देता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(4) किसी विशेष कोष जो कि एसोसिएशन द्वारा निर्धारित हो, व स्वेच्छा से दिया गया विशेष योगदान जो कि एसोसिएशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये हो, स्वीकार किया जा सकता है।

4. <u>सदस्यता की निरस्तता :</u>

जिन सदस्यों का शुल्क उनको अन्तिम नोटिस देने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं होता, या किसी सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने पर उसकी स्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा करने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। जो सदस्य संस्था के उद्देश्य के विपरीत कार्य करते है, तो संस्था की कार्यकारिणी समिति 3/4 बहुमत से उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है, एवं कार्यकारिणी के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस प्रकार सदस्यता समाप्त करने का कारण बताये।

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer

5. <u>मताधिकार :</u>

प्रत्येक सदस्य को, (सम्बद्ध सदस्य व मानद सदस्य एवं संस्थानिक सदस्य को छोड़कर), एक मत देने का अधिकारी होगा इस मताधिकारी का प्रयोग सदस्य स्वयं उपस्थित होकर कर सकता है। सदस्य प्रतिष्ठान में यदि एक से अधिक मालिक या सहभागी, निदेशक इत्यादि हों तो उस स्थिति में प्रतिष्ठान या कंपनी के लैटर हेड पर वह व्यक्ति प्राधिकृत होना चाहिये। मताधिकार का अधिकार केवल उन सदस्यों को होगा जिनका चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक शुल्क वार्षिक साधारण सभा से पूर्व संस्था में 15 दिन पूर्व जमा हो जायेगा।

जब कभी भी मतों की आवश्यकता होगी तो सामान्यतया सदस्य हाथ उठाकर मत दे सकेगें। अगर चुनाव अधिकारी चाहे व आवश्यक समझें तो मामले की महत्ता को देखते हुए गुप्त मत–पत्र द्वारा मतदान करवा सकता है।

6. <u>साधारण सभा :</u>

(1) साधारण सभा में सभी प्रकार के सदस्य जिनका वार्षिक शुल्क प्राप्त हो गया है सम्मिलित होगें, तथा एसोसिएशन के मामलों के लिये सर्वोच्च प्राधिकार साधारण सभा के पास होगें।

(2) साधारण सभा द्वारा लिये गये सभी निर्णय कार्यकारिणी समिति द्वारा निष्पादित किये जायेगें, एवं कार्यकारिणी को साधारण सभा द्वारा लिये गये निर्णयों को सुचारू रूप से निष्पादित करने का जिम्मा होगा। साधारण सभा कार्यकारिणी समिति को अपना अन्य किसी भी विषय पर और अधिकार दे सकती है, एवं कार्यकारिणी समिति भी अपने अधिकारों को अन्य व्यक्ति, समिति या उप समिति को कार्य के उचित निष्पादन के लिये जो कि उनको दिया गया है, दे सकती है।

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer

(3) उन समस्त मामलों को छोड़कर जिनमें कि अधिक बहुमत की आवश्यकता है, जैसा कि कम्पनीज एक्ट 1956 में बताया गया है, अन्य मामलों में साधारण सभा के निर्णय बहुमत से लिये जायेगें। मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) एसोसिएशन के लिये कार्यकारिणी समिति द्वारा या किसी पदेन सदस्य द्वारा कोई उत्सव, सेमीनार, अन्य सभाओं या शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम यदि आयोजित किये जाते है, तो वह किसी प्रकार की साधारण सभा जैसा कि ऊपर बताया गया है, नहीं समझी जावेगी। इस प्रकार के कार्यक्रमों में नोटिस, कोरम, संयोजन आदि के लिये कोई प्रावधान लागू नहीं होगें।

(5) एसोसिएशन में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभाओं की अध्यक्षता उपाध्यक्ष या सचिव करेगा, एवं दोनों की अनुपस्थिति में साधारण सभा अपनी इच्छा से उपस्थित सदस्यों में से किसी भी एक को सभा की अध्यक्षता करने के लिये चुन सकेगी।

(6) एसोसिएशन का सचिव साधारण सभा का भी सचिव होगा। उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव साधारण सभा का सचिव होगा।

7. <u>कार्यकारिणी समिति :</u>

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यों में से किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति की अवधि दो वर्ष की होगी। यह अवधि एक अक्टूबर से तीस सितंबर तक रहेगी। अध्यक्ष व सचिव उसी पद पर लगातार दो वर्ष (1 टर्म) से ज्यादा लगातार नहीं रह सकेगें। बाकी पदाधिकारी लगातार चार वर्ष (2टर्म) से ज्यादा नही रह सकेगें।

(1) कार्यकारिणी समिति में कुल निर्वाचित स्थान 18 होगें।

(2) दो स्थान पदेन सदस्यों के लिए होंगे, जो कि अन्तिम भूतपूर्व मानद सचिव एवं

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary
For Garment Exporters Association of Rajasthan
President
For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

अध्यक्ष के लिए सुरक्षित होगें।

(3) उपरोक्त प्रकार से निर्वाचित कार्यकारिणी समिति चार सदस्यों का सहवरण (Co-option) आजीवन/साधारण सदस्यों में से करेगी एवं इस प्रकार सहवृत (Co-option) सदस्यों की स्थिति उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार कार्यकारिणी के चुने हुए सदस्यों की है एवं ये पदाधिकारी के पद के लिये नियुक्त होने के लिए भी अधिकारी होगें।

(4) किसी निर्वाचित या सहवरण पदाधिकारी द्वारा असामयिक परस्थिति में पदत्याग की स्थिति में कार्यकारिणी समिति द्वारा बहुमत से नये पदाधिकारी का मनोनयन निर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों में से होगा। अधिकतम दो कार्यकारिणी सदस्यों के पदत्याग की स्थिति में नये कार्यकारिणी सदस्य/सदस्यों का मनोनयन कार्यकारिणी समिति सामान्य/आजीवन सदस्यों में से बहुमत से करेगी। दो से ज्यादा सदस्यों के पदत्याग की स्थिति में सामान्य/आजीवन सदस्यों में से दुबारा चुनाव प्रक्रिया द्वारा साधारण सभा/असाधारण सभा में होगा। नये मनोनीत पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य का कार्यकाल पद त्याग करने वाले पदाधिकारी व सदस्य के शेष कार्यकाल तक सीमित होगा।

8. <u>कार्यकारिणी समिति के सदस्य की कार्यकारिणी की सदस्यता से निरस्तता :</u>

कार्यकारिणी के सदस्य की सदस्यता निम्नाकिंत परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी यदि :

(1) सदस्य दिवालिया घोषित हो जाये।

(2) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाये।

(3) चरित्र हनन का अपराधी सिद्ध हो जाये।

(4) स्वयं त्याग पत्र दे दे एवं कार्यकारिणी समिति उसे बहुमत से स्वीकार कर ले।

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer

(5) एसोसिएशन से उसकी प्राथमिक सदस्यता समाप्त हो जाये।

(6) कोई सदस्य बिना सूचित किये क्रमिक तीन सभाओं में अनुपस्थित रहता है, उसे पूर्व सूचना देकर कार्यकारिणी की सदस्यता से हटाया जा सकता है।

9. <u>कार्यकारिणी समिति के अधिकार :</u>

(1) कार्यकारिणी समिति कार्यकारिणी के सदस्यों में से निम्नलिखित पदाधिकारियों का चुनाव करेगी:—

#1. अध्यक्ष	:	एक
#2. उपाध्यक्ष	:	दो
#3. मानद सचिव	:	एक
#4. मानद संयुक्त सचिव	:	एक
#5. मानद कोषाध्यक्ष	:	एक
#6. मानद संयुक्त कोषाध्यक्ष	:	एक

(2) समस्त अधिकारिक एवं कार्यात्मक कार्यों को करना, संस्था के कार्य को चलाना तथा संस्था की कार्यवाहियों के संचालन हेतु समस्त कार्यों को स्वीकृति प्रदान करना। नियम, उपनियम बनाना व लागू करना।

(3) एसोसिएशन के कार्यालय में आवश्यकतानुसार समय—समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(4) उपरोक्त नं. 7 में बताये अनुसार सदस्यों को को—आप्टड करना।

(5) कार्यकारिणी समिति किसी भी समय, को— आप्टड / निर्वाचित सदस्य (अधिकतम दो) के हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकेगी।

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

(6) शुल्क के अतिरिक्त धन, उपहार या चन्दा एसोसिएशन के उद्देश्यों के सामान्य कार्य हेतु अथवा किसी कार्य विशेष जो कि उद्देश्यों से सम्बन्धित हो, प्राप्त करना।

(7) सदस्य व अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले किसी कार्य विशेष के लिये भुगतान का निर्धारण करना अथवा इस प्रकार का भुगतान प्राप्त करना।

(8) समितियां, उप–समितियां बनाना, सेमीनार का आयोजन करना, अन्य कार्यक्रम बनाना एवं उपरोक्त अधिकारों को निश्चित करना एवं कार्यकारिणी के चुनाव एवं पदाधिकारियों के चयन सम्बन्धी नीति निर्धारित करना।

(9) यह समस्त कार्य एवं व्यय करना, जो कि एसोसिएशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक हो। समस्त कार्य व व्यय करने के पश्चात् बुलाई गई साधारण सभा में सभी लागू किए गए नियम, कार्य व व्यय की अनुमति/पुष्टि प्राप्त करना।

10. <u>पदाधिकारियों के अधिकार :</u>

(1) अध्यक्ष :

सामान्यता वह एसोसिएशन के कार्यों एवं मामलों के संचालन में मार्गदर्शन देगा। वह साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की सभाओं की अध्यक्षता करेगा, एवं बिना कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के एक बार में 50,000/– (पचास हजार रूपये) तक व्यय करने के लिये अधिकृत होगा।

(2) उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखकर करेगा।

(3) मानद सचिव :

मानद सचिव अध्यक्ष के मार्ग दर्शन में कार्य करेगा। यह समस्त सभाओं का संचालन

For Garment Exporters Association of Rajasthan

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

करेगा, एवं मिनिट्स (सभा की कार्यवाही) तैयार करेगा, एवं एसोसिएशन में प्रतिदिन होने वाले कार्यों को देखेगा। उसे कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना एक बार में 30,000/– रूपये (तीस हजार रूपये) तक का व्यय करने का अधिकार होगा। वह एसोसिएशन के कार्यालय का प्रभारी होगा, तथा उसको कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उस नियुक्ति का बाद में कार्यकारिणी समिति द्वारा पुष्टिकरण करा लिया जाये।

(4) मानद संयुक्त सचिव :

वह मानद सचिव के प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करेगा एवं मानद सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यो को करेगा एवं अधिकारों का उपयोग करेगा।

(5) मानद कोषाध्यक्ष :

वह एसोसिएशन के समस्त कोष को रखेगा एवं कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार नकद प्राप्त करेगा, एवं भुगतान करेगा। उसे कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना एक बार में 30,000/– रूपये (तीस हजार रूपये) तक का व्यय करने का अधिकार होगा। वह उचित बही खाते रखेगा, एवं उनका अंकेक्षण करवायेगा तथा वार्षिक खातों तथा चिट्ठे को आर्थिक वर्ष के समाप्त होने के छः महिने के भीतर वार्षिक साधरण सभा में प्रस्तुत करेगा।

(6) मानद संयुक्त कोषाध्यक्ष :

वह मानद कोषाध्यक्ष के प्रतिदिन के कार्यो में सहायता करेगा एवं मानद कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करेगा।

11. कार्यकारिणी समिति की सभाएं :

कार्यकारिणी की सभा मानद सचिव के जब भी एवं जहां भी तथा जिस समय भी अध्यक्ष की

For Garment Exporters Association of Rajasthan

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

Hon. Secretary
For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

सहमति से बुलाने पर होगी। यह सभा आवश्यक तौर पर भी बुलाई जा सकेगी, यदि उसके लिये कम से कम 1/3 सदस्य लिखित में अनुरोध करें। कार्यकारिणी समिति की सभा बुलाने के लिये साधारणतया तीन दिन का नोटिस दिया जायेगा। अति आवश्यक सभा इससे कम समय के नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

कार्यकारिणी की सभा में कम से कम 1/3 सदस्यों का कोरम होना जरूरी है। कार्यकारिणी की सभा हर दो माह में एक बार बुलाना आवश्यक है। अगर कोरम के लिये सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित सभा आधे घण्टे बाद उसी स्थान पर कर ली जावेगी एवं स्थगित सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

12. साधारण सभाएँ :

(1) वार्षिक साधारण सभा :

प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पहले निम्नाकिंत विषयों पर विचार करने के लिए वार्षिक साधारण सभा होगी।

वार्षिक साधारण सभा आयोजन की तिथि से 15 दिन पूर्व तक प्रत्येक सदस्य को चालू वित्तीय वर्ष शुल्क जमा होने पर ही सदस्य को मताधिकार प्राप्त होगा, वार्षिक शुल्क बकाया होने पर सदस्य को मताधिकार से वंचित किया जायेगा। (नियम 5 के अनुसार)

#1. कार्यकारिणी समिति के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखों का अनुमोदन करना।

#2. कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हर दो वर्ष में करना।

#3. अंकेक्षक की नियुक्ति एवं उसका पारिश्रमिक निश्चित करना।

#4. कार्यकारिणी समिति द्वारा सौंपे गये, अन्य किसी कार्य को करना।

#5. सभी सदस्य केवल वे जो ऊपर लिखे नियम 5 द्वारा हटाये गये है, को छोड़कर सभा में मत देने के अधिकारी होगें।

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

#6. साधारण सभा/ असाधारण सभा के कोरम के लिये कम से कम कुल सदस्यों की 1/5 उपस्थिति अनिवार्य होगी। जब कभी भी आवश्यक हुआ तो साधारण सभा/ असाधारण सभा में उपस्थित मताधिकार प्राप्त सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कराने का अधिकार होगा। प्रस्तावित संविधान को साधारण सभा /असाधारण सभा के नोटिस के साथ भेजना अनिवार्य होगा।

(2) असाधारण सामान्य सभा :

#1. यह सभी जब किसी भी अध्यक्ष या मानद सचिव आवश्यक समझे अध्यक्ष या कार्यकारिणी समिति की अनुमति से या अगर 25 प्रतिशत सदस्य इसके लिये लिखित अनुरोध करें, तो बुलाई जा सकती है।

#2. उपरोक्त प्रकार की सभा बुलाने के लिए सदस्यों को एक सप्ताह का नोटिस दिया जायेगा।

#3. सभी सदस्य (केवल वे जिन्हें ऊपर लिखे नियम 5 के अनुसार सदस्यता से हटा दिया गया है, को छोड़कर) इसमें मत देने के अधिकारी होगें।

13. <u>हिसाब व अंकेक्षण :</u>

(1) कार्यकारिणी आय–व्यय व सम्पत्ति का सही–सही हिसाब रखेगी।

(2) कार्यकारिणी समय–समय पर यह निश्चित करेगी, कि कौन–सी पुस्तकें, किताबें व प्रपत्र आदि का सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(3) संस्था के वार्षिक साधारण सभा में सचिव या कोषाध्यक्ष संस्था की आय–व्यय का विवरण, सम्पत्ति व दायित्वों का विवरण सदस्यों के सम्मुख उन्हें पारित कराने हेतु रखेगा। यह ब्यौरा सभा होने की तिथि से 6 माह पूर्व से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(4) आय–व्यय के विवरण व सम्पत्ति व दायित्वों के ब्यौरे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सभा होने की तिथि से 15 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजनी होगी, जिनको सभा की सूचना भेजी

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President
For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary
For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

गई हो। इनकी एक प्रति संस्था के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के अवलोकन के लिये रखी जायेगी।

(5) संस्था की समस्त धन राशि 50,000/– रूपयों को छोड़कर संस्था के बैंक खाते में जमा कराई जायेगी। संस्था के बैंक खाता अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के किन्ही भी दो हस्ताक्षरों से चलाया जायेगा।

(6) संस्था के हिसाब किताब की पुस्तकों को वर्ष समाप्त होने के बाद संस्था के अंकक्षेकों द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा। संस्था के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।

14. संविधान में संशोधन :

जब कभी भी आवश्यक हुआ तो साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करने का अधिकार होगा।

15. सामान्य :

(1) अन्य मामलों, जिनकों कि संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, उनका सामान्य कानून एवं प्रचलित विधि द्वारा निबटारा किया जायेगा।

(2) सद्‌भावना से किये गये किसी भी कार्य या गलती के लिये एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी वित्तीय या अन्य रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

16. एसोसिएशन का समापन :

संस्था के कम से कम दो तिहाई सदस्य मिलकर यह तय कर सकते है कि संस्था का समापन किया जाये, तथा उसका उसी समय या अन्य समय जो कि तय/निश्चित किया गया हो, समापन हो जायेगा। तथा संस्था की सम्पत्ति वाद तथा दायित्वों का निर्धारण एवं निबटारे के लिए सभी आवश्यक कदम संस्था के नियमों के अनुसार उठाये जायेगें। इस

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan
President

For Garment Exporters Association of Rajasthan
Treasurer

सम्बन्ध में किसी भी मतभेद की दशा में उत्पन्न हुए विवाद को पंचों के सुपुर्द किया जायेगा। जिनकी नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

यदि संस्था के समापन के समय समस्त वादों एवं दायित्वों का निबटारा करने के पश्चात् भी कोई भी सम्पत्ति बचती है, वह सदस्यों के मध्य वितरित नहीं किया जायेगा, तथा सम्पत्ति को किसी भी अन्य संस्थाओं को जिनका निर्धारिण कम से 2/3 बहुमत से किया गया हो, को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

(कुल पेज संख्या –19)

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Gen. Secretary

For Garment Exporters Association of Rajasthan

President

For Garment Exporters Association of Rajasthan

Treasurer